क्रम-संख्या–187

रजिस्ट्रेशन नं०–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 जुलाई, 2007

आषाढ़ 27, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1294/79–वि–1–07–1 (क) 25-2007

लखनऊ, 18 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 17 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(कक) राज्य में सामाजिक एवं लोक जीवन में विशिष्ट ख्याति प्राप्त तीन से अनधिक गैर सरकारी व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।"

धारा 6 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(2—क) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) के नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, और वह पुनः नाम-निर्देशन के लिये पात्र होगा।"

धारा 7 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में, शब्द "खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन" के स्थान पर शब्द "खण्ड (क), (कक) तथा (ख) के अधीन" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 7-क बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"7—क इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, अध्यक्ष के समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का निर्वहन, या कृत्यों का सम्पादन ऐसे उपाध्यक्ष द्वारा, जैसा अध्यक्ष द्वारा, आदेश में यथाविहित, निगम के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाय, बिना शर्त या अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति सहित ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, किया जायेगा। तथापि इस प्रकार प्राधिकृत उपाध्यक्ष, निगम के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में, अपना पद निगम के अंतिम नियंत्रण एवं निदेश के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में धारण करेगा।"

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 4 और 6 में नियम के गठन और निगम के क्रमशः अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि के सम्बन्ध में प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा 7 में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद से सम्बन्धित अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में प्राविधान है। निगम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके निगम में ऐसे तीन गैर-सरकारी व्यक्तियों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की जाय जो राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और जो, जब तक कि उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे। यह भी विनिश्चय किया गया कि नई धारा 7-क बढ़ा कर यह व्यवस्था की जाय कि अध्यक्ष के समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का सम्पादन ऐसे उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जिसे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No.1294 /LXXIX-V–1-1-(ka)25-2007
Dated Lucknow, July 18, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewar Vyawastha (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 17, 2007 :—

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE (SECOND AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 15 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Second Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 43 of 1975

2. In section-4 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*aa*) non-official persons not exceeding three of eminance in social and public life in the State, to be nominated as Vice-Chairman by the State Government."

Amendment of section 6

3. In section 6 of the principal Act after sub-section (2), the following sub-section, shall be *inserted*, namely :—

"(2-A) A person nominated under clause (aa) of sub-section (2) of section 4 shall, unless his term is determined earlier by the State Government by notification in the *Gazette*, hold office for a period of three years, and shall be eligible for re-nomination."

Amendment of section 7

4. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "under clauses (a) and (b)", the words "under clauses (a), (aa) and (b)", shall be *substituted.*

Insertion of new section 7-A

5. After section 7 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"7-A Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, all or any of the powers, duties and functions of the Chairman shall be exercised discharged or performed by such Vice-Chairman as may be subject to the control and supervision of the Nigam, by general or special order authorised by the Chairman, either uncoditionally or subject to such conditions, including the conditions of review by himself, as may be specified in the order. The Vice-Chairman so authorised shall, however, in relation to the affairs of the Nigam, subject to the ultimate control and direction of the Nigam, hold his office under immediate control of the Chairman."

Repeal and savings

6. (1) The Uttar Pradesh Water and Sewarage (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 16 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act is if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 4 and 6 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P. Act no. 43 of 1975) provide for the constitution of the Nigam and the term of office of the Chairman and other members of the Nigam respectively. Section 7 of the said Act provides for other provisions regarding office of the Chairman and other members. In order to make the Nigam more effective it was decided to amend the said Act to provide for including three non-official persons in the Nigam, who shall be nominated as Vice-Chairman by the State Government and who shall unless their term determined earlier, hold office for a period of three years. It was also decided to insert new section 7-A to provide that all or any of the powers, duties and functions of the Chairman shall be exercised, discharged and performed by such Vice-Chairman as may be authorised by the Chairman.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 16 of 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 283 राजपत्र–(हिन्दी)–(766)–2007–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 172 सा० विधा०–(767)–2007–850 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/आफसेट)।